

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1554, 1555, 1556, 1557 / 2014 जिला : जयपुर
 उन्वान मैसर्स इंग्राम माईको इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वा.क.अधिकारी, प्रतिकरापवर्जन, राजस्थान-प्रथम,
 जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

सम्बन्धित
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

10.09.2014 अपीलार्थी के ओर से श्री विलास मोरे, सीनियर मैनेजर एवं निशांत त्रिपाठी एवं विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उपस्थित।

यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवर्जन, राजस्थान-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2014 में करम मांग राशि रु० 38,97,514/- में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 27,43,786/- की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष रु. 12,53,728/- पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश को विवादित किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी टेबलेट का व्यवसाय करता है, जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कम्प्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से की है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी का मानना है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाईल एवं लैपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसके द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I, II, III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवर्जन किया जाना मानकर कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियां निम्न तालिका के अनुसार आरोपित की हैं :-

अ. सं.	कुल सृजित मांग	अधिनियम की धारा 61 के आरोपित शास्तियों की स्थगित राशि	स्थगन हेतु आरोपित अशेष राशि
1554 / 14	6557510	40,90,375 /-	24,67,132 /-
1555 / 14	18630411	1,19,80,972 /-	66,49,439 /-
1556 / 14	9022549	60,35,150 /-	29,87,399 /-
1557 / 14	3997514	27,43,786 /-	12,53,728 /-

2

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों पर अधिनियम की धारा 3B(4) के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने उपरोक्त तालिका के अनुसार अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु अवशेष राशियों पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।


अपीलार्थी व्यवहारी के ओर श्री विलास मोरे एवं निशांत त्रिपाठी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी टेबलेट का व्यवसाय करता है, जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कम्प्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से की है। उनका कथन है कि वेट अधिनियम के अन्तर्गत कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफेरल्स को परिभाषित नहीं किया गया है अतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उपलब्ध कम्प्यूटर की परिभाषा से लेबलेट आच्छादित होने के कारण टेबलेट अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित होने से उसके द्वारा टेबलेट की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई है। विशिष्ट रूप से इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.05.2013 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि कस्टम टेरिफ के तहत टेबलेट को कम्प्यूटर हेडिंग में शामिल किया गया है। अतः उक्त 5 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है। पुनः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों को दोहराते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित अवशेष राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाईल एवं लेपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसके द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I, II, III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है। कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत जारी अनुसूचियों के तहत वस्तु विशेष पर विशिष्ट दर अधिसूचित होने की दशा में, विशिष्ट दर ही लागू किये जाने योग्य है एवम् जारी अनुसूचियों में टेबलेट विशेष रूप से अंकित नहीं होने के कारण 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के जरिये टेबलेट के विक्रय पर आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को विधिसम्मत होना प्रकट कर, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग में होना अवधारित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। अवशेष कर दर पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों व अधिनियम के तहत जारी अनुसूचियों का अवलोकन के पश्चात, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तागत प्रकरण में कर दर का सारगृह विधिक महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्बलित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक ओपेन पत्र स्वीकार किये जाकर, वसूली योग्य मांग राशि रु. 24,97,120/-, रु.66,49,439/-, रु.29,87,399/- व रु.12,53,728/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के राम्रक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निरस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।


10.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य


(राजेश शर्मा)
सदस्य